20/12/21 [illegible] पेश हुई। अभिभाषक सघ के [illegible] करने [illegible] का [illegible] कर [illegible] रखा है। पत्राव[illegible] आदेशानु[illegible] दिनाक 2/3/22 को पेश हो। [signature]

07/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. IPO सा दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 09/5/22 को पेश हो। [signature]

09/05/22 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उप। प्रतिवादी नं. 3 की ओर से श्री विनोद कुमार मीणा-II ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। नकल डिक्री गयी। प्रतिवादी नं. 1 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश हो। पत्रावली दिनांक 26/5/22 को पेश हो।

[signature]

26/05/22 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उप.। वादी ने बतौर साक्ष्य मुख्य परीक्षण स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिरह शून्य रही। बहस उभय पक्ष सुनकर समाहत की गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30/05/2022 को पेश हो।

[signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
जितेन्द्र कुमार बनाम लैण्ड होल्डर
दावा सं. 32/2021

30/5/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश पेश हुयी। वकील वादी व प्रतिवादीगण उप0। पत्रावली मे बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम गणश्वर पटवार मण्डल गणेश्वर स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सख्या 383 कुल किता 5 कुल रकबा 4.79 हैक्ट0 के 1/6 हिस्से की खातेदारी मे वादी का नाम बोलता नाम बन्ना पुत्र शकर दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। जबकि वादी का सही दस्तावेजी नाम जितेन्द्र कुमार सैनी है। वादी के दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड आदि मे वादी का नाम जितेन्द्र कुमार सैनी दर्ज है। अत वादी का सही नाम जितेन्द्र कुमार सैनी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी मे खातेदार का बन्ना पुत्र शकर गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे पहचान पत्र आधार कार्ड राशनकार्ड बैंक पास बुक, पैन कार्ड सेना के दस्तावेज की प्रतिया पेश की जिनमे वादी का सही नाम जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र शकर है तथा ग्राम पचायत भूदाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनाक 19.01.2021 से भी स्पष्ट है कि बन्ना पुत्र शकर व जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र शकर एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रतिवादीगण जो कि वादी के सगे भाई है ने इकबालिया जबाब पेश कर वाद पत्र व अनुताप खण्ड को स्वीकार किया है, तथा विद्वान वकील प्रतिवादीगण ने दौरान बहस इस तथ्य को स्वीकार किया है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे बतौर साक्ष्य स्वय का लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यो की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम बन्ना पुत्र शकर अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र शकर है की पुष्टि पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पास बुक की प्रतियो व ग्राम पचायत भूदाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होती है। प्रतिवादीगण के इकबालिया जबाब व वाद पत्र के समर्थन मे बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्र से भी इन तथ्यो की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

[signature]
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गणश्वर पटवार मण्डल गणेश्वर स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सख्या 383 मे दर्ज खातेदार **बन्ना पुत्र शंकर** के स्थान पर **जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र शंकर** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु पचा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

[signature]
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:54:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner